20/12/17 पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्रों हेतु पेश —

(1) प्रा० पत्र O41 R-27 CPC हेतु —

वकील अपीलांट ने बहस प्रा० पत्र में निवेदन किया कि अपील में न्याय निर्णय सहायक दस्तावेज प्रा० पत्र के साथ प्रस्तुत किये जिनमें (1) पंचसाला खतौनी (2) नामान्तरकरण सं० 670 (3) प्रा० पत्र तहसीलदार मनिआनपुर दि० 08-4-1988 (4) SDM नौगावां के यहां प्रस्तुत अपील सं० 43/1976 निर्णय दिनांक 15-3-1979 के साथ बयान तथा मि० 80 शीगास द्वारा सैयद मो० युसुफ अली की प्रमाणित प्रतियां पेश की है। उक्त दस्तावेज राजस्व न्यायालय एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी है जो अपील के न्याय निर्णय में सहायक है। जिन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। पत्रावली में यह दस्तावेज प्रकरण तलबी में चल रहा था इस कारण पेश नहीं किये जा सके। अतः प्रस्तुत दस्तावेज विलम्ब को क्षमा कर रिकार्ड पर लिये जावें। तथा रेस्पा० ने जो प्रा० पत्र पेश किया है वह अपील को क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर पेश किया है। वह गलत है। विवादित आराजी खातेदारी की है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को। रेस्पा० ने यह प्रा० पत्र

अपील पेश होने 11 वर्ष बाद पेश किया जिससे प्रकरण में निर्णय नहीं होने की निमित्त से पेश किया। देसो० का प्रा० पत्र अपील क्षेत्राधिकार में नहीं को कोर्ट पर खारिज किया जावे।

विद्वान वकील देसो० ने बहस प्रा० पत्र में कथन किया कि अपीलार्थ ने प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये है वह दस्तावेज दावा दायरी व अपील से पूर्व के दस्तावेज है जिनको आज तक पेश नहीं करने का कोई सन्तोष प्रद कारण दर्ज नहीं किया। अतः अपीलार्थ का प्रा० पत्र O41 R-27 CPC खारिज किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज वापस लौटाये जावे तथा प्रस्तुत प्रकरण वक्फ बोर्ड से सम्बन्धित है। इस प्रकार के प्रकरण में न तो सिविल न्यायालय को और न ही राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है। इसमें केवल वक्फ बोर्ड को ही यह अधिकार है कि यह आराजी (सम्पदा) वक्फ बोर्ड की है अथवा नहीं। राजस्व न्यायालय में अपीलार्थ ने यह अपील क्षेत्राधिकार के बाहर पेश की है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दि० 11-7-2008 प्रकरण सं० 178/2000 पेश कर प्रा० पत्र स्वीकार कर अपील को क्षेत्राधिकार के विरुद्ध पर खारिज करने का निवेदन किया।

बहस बगौर समाप्त की गई। O41 R-27 CPC के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपील से सम्बन्धित है जो प्रमाणित दस्तावेज है। जिनको न्यायहित में न्याय निर्णय हेतु रेकार्ड पर लिये जाते है। तथा देसो० द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने बाबत प्रस्तुत नजीर मा० राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी सं० 178/2000 निर्णय दिनांक 11-7-2008 में स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि वक्फ सम्पत्ति है अथवा नहीं

83/2006 दरगाह - सैयद मौ०

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	न्यायालय को। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 11-7-2008 में भी विवाद दरगाह की आराजी को लेकर है तथा प्रस्तुत प्रकरण में भी विवाद दरगाह की आराजी को लेकर है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश में विवादित भूमि वक्फ सम्पति है अथवा नहीं। इसके लिये प्रकरण को राज० वक्फ अधिकरण जयपुर को प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण भी वक्फ सम्पदा से सम्बन्धित है। अत प्रा०पत्र स्वीकार कर प्रकरण को राज० वक्फ अधिकरण जयपुर को भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो। तब तक न्यायालय का स्थगन आदेश दि० 17-4-2006 प्रभावी रहेगा। निर्णय सुनाया गया।	